30.5.19 प्रार्थिया / बादीया द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत करने पर पश्चा. पेशी में ली गई। मुताबिक प्रा.पत्र के प्रकरण में प्रार्थीया कोई कार्यवाही नहीं चाहती है तथा ना ही उक्त प्रकरण को आगे चलाना चाहती है। प्रा.पत्र प्रार्थीया द्वारा स्वेच्छा से बगैर दबाव कार्य बहिष्कार के सुनाया गया। लगातार सह कार्य बहिष्कार होने के कारण उप. नहीं है अतः प्रा.पत्र प्रार्थीया स्वीकार कर वाद बादीया इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पश्चा. नम्बर से कम भी जा.कर दाखिल हो सकेगा।

30/5/19

सहायक कलक्टर
टोंक